This is a digitally signed gazette, to verify click here.


# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

**शिमला, मंगलवार, 15 फरवरी, 2011/26 माघ, 1932**


### हिमाचल प्रदेश सरकार

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

अधिसूचना

शिमला–2, 11 फरवरी, 2011

**संख्याः कल्याण–ए(4)–6/93–1.**–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अधीक्षक ग्रेड–II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अधीक्षक ग्रेड–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
**सरोजिनी गंजू ठाकुर,**
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)।

———————

**उपाबन्ध. 'क'**

हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अधीक्षक ग्रेड–II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**–अधीक्षक ग्रेड–II

2. **पदों की संख्या.**–01 (एक)

3. **वर्गीकरण.**–वर्ग–II (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान.**–10300–34700+4200 रूपये ग्रेड पे

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**–अचयन पद।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**–लागू नहीं ।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए.**–लागू नहीं ।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नही.**–आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**–दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. **भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.**–शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैन्ट/स्थानान्तरण आधार पर ।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.**–वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समरूप वेतनमान में इस पद पर कार्य कर रहे पदधारियों में से सैकैण्डमैंट/स्थानान्तरण के आधार पर ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी कि सम्भरक(पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

(i) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक(पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण.**–अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

**12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**–जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

**13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**–जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

**14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.**–लागू नही।

**15 सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**–लागू नहीं।

**15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**–लागू नहीं।

**16. आरक्षण.**–सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

**17. विभागीय परीक्षा.**–लागू नहीं।

**18. शिथिल करने की शक्ति.**–जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

[*Authoritative English Text of Notification No. Kalyan-A*(4)-6/93-I, *Dated* 11*th February,* 2011 *as required under Clause-*(3) *of Article* 348 *of Constitution of India*]

**SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla*-2, *the* 11*th February,* 2011

**No. Kalyan-A (4)-6/93-I.—**In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-II (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh State Backward Classes Commission, as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:—

**1. Short title and Commencement.—**(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Backward Classes Commission, Superintendent Grade-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
SAROJINI GANJU THAKUR
*Additional Chief Secretary (SJ&E),*
*to the Government of Himachal Pradesh.*

———————

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GRADE-II (CLASS-II-NON-GAZETTED), IN THE H.P.STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES, SHIMLA-9.

**1. Name of Post.—**Superintendent Grade-II

**2. Number of post.—** 01 (One)

**3. Classification.—**Class-II (Non-Gazetted)

**4. Scale of Pay.—**Rs. 10300-34800 + 4200 Grade Pay

**5. Whether Selection post or Non-Selection post.—**Non Selection

**6. Age for direct recruitment.—** Not applicable

**7. Minimum educational qualification and other qualifications required for direct recruits.—**Not applicable

**8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.—**Not applicable

**9. Period of Probation, if any.—**Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

**10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer, and the percentage of posts to be filled in by various methods.—**100% by promotion, failing which, on secondment/transfer basis.

**11. In case recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/transfer is to be made.—**By promotion from amongst the Senior Assistants possessing six years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which, on secondment/transfer basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Govt. Departments.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

(i) In all cases, where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all person senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 years or that prescribed in the R&P Rules for the post whichever is less.

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**EXPLANATION:—**The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under:

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

**12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—**As may be constituted by the Govt. from time to time.

**13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission to be consulted in making recruitment.—**As required under the Law.

**14. Essential requirements for a direct recruitment.—**Not applicable

**15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—**Not applicable

**15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—**Not applicable

**16. Reservation.—** The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.—** Not applicable

**18. Power to relax.—**Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

---

## राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 10 फरवरी, 2011

**संख्याः रैव.डी(जी)9–4 / 2009.––**हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 और हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप संशोधन नियमों नामतः हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2010 को इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर इनसे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए, समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 22–9–2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था;

और इस प्रकार प्राप्त हुए आक्षेपों / सुझाावों पर विचार करने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 13 और हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या रैव.डी(जी)6–33 / 86–II तारीख 20 अक्तूबर, 1993 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 5 नवम्बर, 1993 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाती है; अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम.––**इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2010 है।

2. **नियम 2 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 2 में :

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"(कक) ''सहजदृश्य स्थान'' से यथास्थिति, उपायुक्त कार्यालय, उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय/पंचायत घर, महिला मण्डल और लोक समागम का कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है; और"

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''(ङङ) "उच्चतम बाजारी मूल्य'' से उसी परिक्षेत्र में उसी वर्ग की भूमि का अंतिम उच्चतम विक्रय मूल्य अभिप्रेत है:

परन्तु ऐसे मामलों में जहां अंतिम विक्रय, नियत समय बिंदु से बहुत पहले हुआ हो, और किसी और विशिष्ट परिक्षेत्र में ठीक पूर्व में कोई विक्रय नहीं हुआ हो, तो ऐसे मामलों में विक्रय मूल्य उसी वर्ग या उसी आर्थिक महत्व की भूमि की बावत साथ लगते परिक्षेत्र या परिक्षेत्रों में हुए विक्रयों के आधार पर आंका जायेगा। इसके अतिरिक्त, बाजारी मूल्य की गणना करते हुए भूमि की अवस्थिती के महत्व को भी ध्यान में रखा जाएगा।''।

**3. नियम 3 का संशोधन.––**उक्त नियमों के नियम 3 में; खंड (9) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''परन्तु इन नियमों के अधीन पट्टे पर कोई सरकारी भूमि प्रदान नहीं की जाएगी, जहां उस प्रयोजन हेतु जिसके लिए पट्टे के लिए आवेदन किया गया है, उपयुक्त प्राइवेट भूमि सुगमता से उपलब्ध है।''।

**4. नियम 4 का संशोधन.––**उक्त नियमों के नियम 4 में,–

(क) खंड (i) में, "शैक्षणिक संस्थानों" शब्दों से पूर्व "राज्य सरकार के पास पंजीकृत और मान्यता प्राप्त सोसाइटी या न्यास द्वारा" शब्द जोड़े जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में शब्दों और चिन्हों ''व्यक्तियों/कंपनियों" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं, बी0पी0एल0 परिवार, एकल परित्यक्त महिला और अपंग व्यक्तियों या।;''

(ग) खंड (iii) में संक्षेपाक्षर ''आई0आर0डी0पी0'' के स्थान पर संक्षेपाक्षर ''बी0पी0एल0'' रखा जाएगा।

(घ) खंड (iv) में शब्द और चिन्ह "व्यक्तियों/सीढ़ियों बनाने, सैपटिक टैंक/गैराज/" शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा;

(ङ) खंड (viii) का लोप किया जाएगा;

(च) खंड (xii) और (xiii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

''(xii) उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा कानूनी रूप से रजिस्ट्रीकृत निकायों द्वारा खेल गतिविधियों के संवर्धन हेतु;

(xiii) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सुसंगत कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत युवा क्लब या महिला मण्डल द्वारा भवन के विनिर्माण हेतु;"; और

(छ) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"(xiv) विधि के अधीन स्थापित राज्य सरकार द्वारा विकासात्मक गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त न्यास या सोसाइटी द्वारा सामुदायिक प्रयोजनों हेतु।''।

**5. नियम 5 का संशोधन.**––उक्त नियमों के नियम 5 में,––

(क) खंड (i) में, उप खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:––

''(घ) सरकारी विश्वविद्यालय के लिए कोई क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के उपबंधो के अध्यधीन शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए।";

(ख) खंड (4) में "सीढियां बनाने, सैफटिक टैंक/गैराज/" शब्दों व चिन्हों का लोप किया जाएगा,

(ग) खंड (7) में, "3 बीधा" अंकों और शब्दों के स्थान पर "2 बीधा" अंक और शब्द रखे जाएंगें ।

(घ) खंड (8) में "20 बीधा" अंक और शब्द के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अध्यधीन जैसी राज्य सरकार द्वारा उचित समझी जाए।" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) खण्ड 9 का लोप किया जाएगा;

(च) खंड (11) में ''वास्तविक अपेक्षित क्षेत्र या 2 बीधा जो भी कम हो'' शब्दों के स्थान पर "कोई क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अध्यधीन युवा सेवाएं और खेल विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे; और

(छ) खंड (12) के नीचे दिए गए प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा तथा द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

"परन्तु सरकार नियम 4 (vii) के अधीन लोक प्रयोजन, जैसा वह समुचित समझे, के लिए पट्टा प्रदान कर सकेगी।''।

**6. नियम 6 का संशोधन.**––उक्त नियमों के नियम 6 में, (क) खंड 5 में ''हिमाचल प्रदेश के'' शब्दों के पश्चात् ''सरकार'' शब्द जोड़ा जाएगा; और

(ख) खंड (7) में ''आई0आर0डी0पी0'' शब्द और संक्षेपाक्षर के स्थान पर ''बी0पी0एल0 परिवार, एकल परित्यक्त महिला'' शब्द और संक्षेपाक्षर रखे जाएंगे।''।

**7. नियम 7 का संशोधन.**––उक्त नियमों के नियम 7 में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:––

''परन्तु यह और कि जब भूमि किसी शैक्षिक संस्थान को पट्टे पर दी जाती है तो कुल स्थानों का दस प्रतिशत बीपीएल परिवारों के छात्रों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। उन्हें मुफ्त शिक्षा और किताबें प्रदान की जाएंगी। ऐसे छात्रों को सम्बद्ध शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा। ऐसे छात्र इन सुविधाओं/छूट को प्राप्त करते रहेंगे चाहे उसके परिवार को बीपीएल परिवारों की सूची से हटा दिया गया हो। ''।

**8. नियम 8 का प्रतिस्थापन.**––उक्त नियम के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

**"8. पट्टा राशि.**––(नए पट्टे के लिए या विद्यमान पट्टे के नवीनकरण के लिए) पट्टा राशि पट्टेदार से प्रतिवर्ष निम्नलिखित रीति में प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:––

**(i) कंपनी (कंपनियां).**––पट्टे पर दी गई भूमि का अंतिम उच्चतम बाजारी मूल्य का अठारह प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी उच्चतर हो परन्तु 2 मैगावाट तक के हाइडल प्रौजैक्ट, जो विशिष्टतः मूल हिमाचलियों/मूल हिमाचलियों से

अंतर्विष्ट सहकारी सभाओं के लिए आरक्षित हैं, के लिए पट्टा राशि 15 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी;

(ii) **सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी पूर्व साक्षरता और वैज्ञानिक प्रयोजनो के लिए रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां.**––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का आठ प्रतिशत या पांच वर्षों की औसत बाजारी मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;

(iii) **पैट्रोल पम्प/गैस गोदाम.**––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का अठारह प्रतिशत या पांच वर्षों के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी अधिक हो;

(iv) **हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सराहनीय सेवाएं करने वाले व्यक्ति.**––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;

(v) **शैक्षिक संस्थान :**

(क) प्राईमरी स्कूल के लिए (ख) मिडल स्कूल के लिए.––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;

(vi) **अन्य शैक्षिक सस्थाएं.**––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी अधिक हो;

(vii) **पंचायतें, अधिसूचित क्षेत्र समितियां नगर पालिका और नगर निगम.**––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;

(viii) **हिमाचल सरकार और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित बोर्ड.**–– पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;

(ix) **राज्य और केन्द्रीय सरकार की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित कानूनी निगम.**––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;

(x) **राज्य और केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालय.**––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;

(xi) **भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाओं, बी0पी0एल0 परिवार और अपंग व्यक्ति और एकल परित्यक्त महिला.**––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम हो;

(xii) **भूमिहीन वास्तविक हिमाचली/आवासीय प्रयोजनों हेतु प्राकृतिक आपदाओं के पीडितों के पुर्नवास/महिला मण्डलों/युवा क्लबों के लिए.**––पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना जो भी कम हो; और

**(xiii) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी द्वारा, भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी कल्याण योजना के लिए, इसी प्रकार से रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा खेल गतिविधि की स्थापना एवं सामुदायिक प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत संस्थान.––**पट्टे पर दी गई भूमि के अंतिम उच्चतम बाजार मूल्य का आठ प्रतिशत या पांच वर्ष के औसत बाजार मूल्य से दुगना मूल्य जो भी कम होः''।

परन्तु राज्य सरकार सुपात्र (योग्य) मामलों में विशेष कारणों से रकम को कम (घटा) कर सकेगी ।''

**9. नियम 10 का प्रतिस्थापन.––**उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''**10. पट्टे के लिए आवेदन के मामले में सामान्य प्रक्रिया.––**(i) पट्टे के लिए आवेदन, प्ररूप–क में नवीनतम जमाबन्दी, ततीमा, विक्रय मूल्य की पांच साला औसत, प्रस्तावित भूमि का अन्तिम बाजारी मूल्य और आवेदक द्वारा पहले ही आवेदक द्वारा पहले ही आवेदित ली गई भूमि के ब्यौरे के समर्थन में एक शपथपत्र तथा कंपनी के मामले में नवीनतम (संपरीक्षित) तुलन पत्र (बले सैं शीट) के साथ जिला के कलक्टर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कलक्टर कहा गया है) को दिया जाएगा। कलक्टर प्रत्येक मामले में नियम 3 के उपबन्धों के अध्यधीन आवेदन का निपटारा करेगा ।

(2) उप नियम (i) में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त, आवेदक इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भी दस्तावेज संलग्न करेगा ।

**10. नियम 12 का संशोधन.––**उक्त नियमों के नियम 12 में,––

उपनियम (4) की प्रथम पंक्ति में "प्रकाशित" शब्द से पूर्व "व्यापक परिचालन वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

**11. नियम 13 का संशोधन.––**उक्त नियमों के नियम 13 में,––

(क) उपनियम (2) तथा (3) में "आयुक्त (राजस्व)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "मण्डलायुक्त" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"(4) पांच बीधा से अधिक पट्टे पर दी जाने वाली भूमि से अन्तर्वलित प्रस्ताव मन्त्री परिषद के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।"।

**12. नियम 18 का संशोधन.**––उक्त नियमों के नियम 18 में, "प्ररूप–ग" शब्द, चिन्ह और वर्ण के पश्चात् ''सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टे की मंजूरी से छह मास की अवधि के भीतर" शब्द जोड़े जाएंगे।

**13. नियम 20 का संशोधन.––**उक्त नियमों के नियम 20 के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:––

"परन्तु पटटा विलेख के निष्पादन के बिना भूमि का कब्जा नहीं दिया जाएगा।"।

**14. नियम 24 का संशोधन.––**उक्त नियमों के नियम 24 में,––

(क) उप नियम (1) में ''समाप्त किया जाएगा'' शब्दों के पश्चात् ''और पट्टा धन, निर्धारित किए गए धन का दस गुणा पट्टा धन, निर्धारित किया जाएगा'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(3) पट्टेदार, पट्टाविलेख के निष्पादन से दो वर्ष के भीतर भूमि के उपयोग के समर्थन में एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा जिस के लिए यह पट्टे पर दी गई थी।"

15. **प्ररूप–ग का संशोधन.**––उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप–ग में, खण्ड 10 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"10-क. यदि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिस के लिए यह पट्टे पर प्रदान की गई थी तो उस अवधि, के लिए जिसके लिए भूमि पट्टेदार के पास रही, इस प्रकार पूर्व में निर्धारित पट्टा राशि से दस गुना प्रभारित की जाएगी।''

16. **उपाबन्ध–क का अन्तःस्थापन.**––उक्त नियमें से संलग्न प्ररूप–क के पश्चात् निम्नलिखित उपाबन्ध अन्तःस्थापित किया जाएगाः––

————————

"उपाबन्ध–''क''

(नियम 10 (2) देखें)

**(आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज)**
(नियम 10 देखें)

**(I)** **पट्टेदार का शपथ पत्र.**––(क) आवेदक द्वारा पहले से ली गई/आवेदन की गई भूमि के ब्यौरे दर्शाते हुए, और

(ख) कंपनी की दशा में संपरीक्षित तुलन पत्र।

**(II)** **निराक्षेप (अनापत्ति) प्रमाण पत्र.**––(क) जहां हस्तांतरित की जाने वाली भूमि राज्य या राष्ट्रीय राज मार्ग के साथ लगी हुई है लोक निर्माण विभाग से

(ख) जहां हस्तांतरित की जाने वाली भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के उपबन्ध लागू होते है सम्बद्ध ग्राम व नगर योजना प्राधिकरण से., और

(ग) जहां पट्टे पर दी जाने वाली भूमि किसी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है, सम्बद्ध नगरपालिका से ।

उपरोक्त पैरा I से II के सामने विनिदिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, पर्यटन इकाईयों, औद्योगिक और जलविद्युत (हाईडल पावर) परियोजनाओं के मामले में, निम्नलिखित दस्तावजे संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:–

(i) औद्योगिक इकाई स्थापित किए जाने की दशा में, उद्योग विभाग से अनिवार्यता प्रमाण पत्र।

(ii) पर्यटन इकाई स्थापित किए जाने की दशा में, पर्यटन विभाग से अनिवार्यता प्रमाण पत्र।

(iii) जल विद्युत (हाईडल) परियोजनाओं को स्थापित किए जाने की दशा में, हिमाचल प्रदेश सरकार के बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग से अनिवार्यता प्रमाण पत्र ।

(iv) शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की दशा में, शिक्षा विभाग से अनिवार्यता प्रमाण पत्र।

(v) पैटोल पम्प / गैस गोदाम स्थापित करने की दशा में, खाद्य एवं आर्पूति विभाग से अनिर्वायता प्रमाण पत्र।

(vi) खेल क्रियाकलापों की दशा में, हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनिर्वायता प्रमाण पत्र ।

(vii) भूमि के पूर्त / धार्मिक / लोकोपयोग / यूथ क्लब / अस्थाई शैड / आवासीय गृह के प्रयोजन के लिए पट्टे पर लिए जाने हेतू प्रस्तावित किए जाने की दशा में सम्बद्ध उपायुक्त से अनिर्वायता प्रमाण पत्र ।"।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव। (राजस्व)।

————————

*[Authoritative English Text of Government Notification No. Rev. D (G)9-4/2009 dated 10.2.2010 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].*

**REVENUE DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 10th February, 2011*

**No. Rev. D (G)9-4/2009.—**Whereas the draft amendment rules titled as the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2010, were published, as required under section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No.18 of 1974) and Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No.19 of 1973), in Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-ordinary), vide notification of even number, dated the 22-9-2010 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby within a period of 30 days from the date of their publication;

And after considering the objections/suggestions so received, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 and Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 1993 notified vide this Department Notification No.Rev.D(G)6-33/86-II dated 20th October, 1993 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated the 5th November, 1993, namely:-

**1. Short title.—**These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2010.

**2. Amendment of rule 2 In rule 2.—**of the Himachal Pradesh Lease Rules,1993 (hereinafter referred to as the "said rules"),

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) "conspicuous place" means Deputy Commissioner's office, Sub-Divisional officer's (Civil) office , Tehsil office , Municipal Office/ Panchayat Ghars, Mahila Mandal and any other place of public gathering, as the case may be ; and

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

(ee) "highest market value" means latest highest sale price of the land of the same classification in the same locality :

Provided that in cases where the latest sale having taken place long before the appointed point of time and there has been no sale in a particular locality in the immediate past , then in such cases the sale price shall be worked out on the basis of the sales having taken place in the adjoining locality or localities in respect of the land of the same classification and of the same economic importance. Further in doing so the importance of the location of the land shall also be kept in view while calculating the market value.".

**3. Amendment of rule 3.—**In rule3 of the said rules; after clause (9), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no Government land shall be granted on lease under these rules where suitable private land is readily available for the purpose for which lease has been applied . ".

**4. Amendment of rule 4**.—In rule 4 of the said rules,—

(a) in clause (i), after the words "Educational Institutions", the words, "by society or trust registered and recognized by the State Government shall be added ;

(b) in clause (ii) for the words and sign "individuals/companies ", the following shall be substituted, namely:—

"Ex-servicemen, war widows, BPL families, single destitute woman, and handicapped persons. ";

(c) in clause (iii) for the abbreviation, "IRDP" the abbreviation "BPL" shall be substituted;

(d) in clause (iv), the words and signs "stair cases, septic tanks, Garages, individuals/" shall be deleted;

(e) Clause (viii) shall be deleted;

(f) for clauses (xii) and (xiii), the following shall be substituted , namely:-

" (xii) for promotion of sports activities by bodies statutorily registered for the purpose by the State Government ;

(xiii)for construction of bhawan by youth clubs or mahila mandal registered under the relevant statutes recognized by State Government." ; and

(g) after clause (xiii), so substituted the following clause shall be inserted, namely:-

"(xiv) for community purposes by the Trust or Society established under law and recognized by the State Government for developmental activities." .

**5. Amendment of rule 5.—**in rule 5 of the said rules,—

(a) in clause (1), after sub-clause (c), the following shall be added, namely:—

"(d) For Government University.—An area as may be certified by the Department of Education subject to the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972." ;

(b) in clause (4), the words and signs "stair cases, septic tanks, garages," shall be deleted;

(c) in clause (7), for the figure and word "3 bighas" the figure and word "2 bighas" shall be substituted ;

(d) in clause (8) for figures and word "20 bighas" the figures and words "As the State Government may think fit subject to the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972" shall be substituted;

(e) clause (9) shall be deleted;

(f) in clause (11) for the words "Actual area required or two bighas whichever is less", the words "an area as may be certified by the Department of Youth Services and Sports subject to the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972 " shall be substituted; and

(g) the first proviso below clause(12) shall be deleted and for the second proviso, the following shall be substituted, namely :—

" Provided that the Government may grant lease under rule 4(vii) for public purpose as it thinks appropriate.".

**6. Amendment of rule 6**.—In rule 6 of the said rules;

(a) in clause (5), after the words "of Himachal Pradesh" the word "Government" shall be added; and

(b) in clause (7), for the word and abbreviation "IRDP families", the words, abbreviation and sign

" BPL families, single destitute woman " shall be substituted.".

**7. Amendment of rule 7**.—In rule 7 of the said rules after the existing proviso the following second proviso shall be added; namely:—

"Provided further that when the land is leased to an educational institution, 10% of total seats shall be reserved for students from BPL families. They shall be provided free education and books. Such students shall be nominated by concerned Education/Technical Education/Medical Education Director. Such students shall continue to get these concessions even if his/her family is removed from the list of BPL families."

**8. Substitution of rule 8.—**For rule 8 of the said rule, the following shall be substituted, namely:—

"8. **Lease amount.—**The lease amount for (fresh or renewal of existing lease) shall be charged from the lessee per annum in the following manner, namely:—

*(i) Company(ies).*—18% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is higher provided that the HEPs

up to 2 MW which are exclusively reserved for bonafide Himachalis/Co-operative Societies comprising of bonafide Himachalis, lease money shall be charged @ 15%;

*(ii)* *Societies of any Charitable, literary and scientific purposes registered under Societies Registration Act, 1860.*—8% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less ;

*(iii)* *Petrol Pumps/Gas godown.*—18% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is higher;

*(iv)* *Persons who rendered meritorious service to the State of Himachal Pradesh.*—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;

*(v)* *Educational Institutions :*

**(a)** **for Primary School (b) for middle School.—**5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;

*(vi)* *Other Educational Institutions.*—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is high;

*(vii)* *Panchayats, Notified Area Committees, Municipal Committees and Municipal Corporations.*—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;

*(viii)* *Boards set up under any enactment of the Himachal Government and Central Government.*—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;

*(ix)* *Statutory Corporations set up under any enactment of State and Central Government.*—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less.

*(x)* *Universities of the State and Central Government.*—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;

*(xi)* *Ex-servicemen, war widows, BPL families and handicapped persons and single destitute woman.*—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less;

*(xii)* *Residential purposes by the landless Bonafide Himachali/Rehabilitation of sufferers of natural calamities/ Mahila Mandals/Youth Clubs.*—5% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less; and

*(xiii)* *Any Welfare scheme sponsored by the Government of India /State Government, if executed by a Society registered under the Societies Registration Act, 1860; establishment of a sports activity by a society similarly registered and a registered institution for community purpose.*—8% of the latest highest market value of the land leased or double the average market value of five years, whichever is less.".

Provided that the State Government may reduce the amount for special reasons in deserving cases.

**9. Substitution of rule 10**.—For rule 10 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"10. **General procedure in case of application for lease.—**(1) The application in Form-A along with latest jamabandi, tatima , five years average sale price, latest market value of the proposed land and an affidavit in support of details of land already applied/taken by the applicant and latest audited balance sheet in case of Company for lease shall be made to the Collector of the District (hereinafter called the Collector). The Collector subject in every case to the provisions of rule 3 shall deal with the application.

(2) In addition to the documents mentioned in sub-rule (1), the applicant shall also enclose the documents as per Annexure 'A' appended to these rules.".

**10. Amendment of rule 12.—**In rule12 of the said rules, in sub rule (4), in the first line, after the word "published" the words " in two local news papers having vide circulation", shall be inserted.

**11. Amendment of rule13**.—*In rule 13 of the said rules.*—(a) in sub- rules ( 2) and (3), for the words and brackets " Commissioner(Revenue)" ,the words "Divisional Commissioner" shall be substituted ; and

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The proposal involving more than five Bighas of land to be leased out shall be sent to the Council of Minister for approval."

**12. Amendment of rule18**.—In rule18 of the said rules, after the word, sign and alphabet "Form-C", the words "within a period of six months from the sanction of lease by the Competent authority" shall be added.".

**13. Amendment of rule 20**.—After, rule 20 of the said rules, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the possession of the land shall not be handed over without execution of the lease deed.".

**14. Amendment of rule 24.—**In rule24 of the said rules;

(a) in sub-rule (1) after the word "encumbrances", the words "and the lease money shall be charged ten times the assessed lease money" shall be inserted; and

(b) after sub-rule (2), the following sub- rule shall be added, namely:-

" (3) The lessee shall submit an affidavit in support of use of land for which it was leased out within two years from the execution of the lease deed ."

**15. Amendment of Form-C**.—In Form–C appended to the said rules, after clause 10, the following clause shall be inserted , namely:-

" 10A If land is not utilized for the purpose for which the lease was granted, the lease money shall be charged ten times of the lease money so assessed earlier for the period for which the land remained with the lessee.".

**16. Insertion of Annexure-'A'.—**After FORM–A appended to the said rules, the following "ANNEXURE" shall be inserted, namely:-

**"ANNEXURE 'A'**

**{See Rule -10(2)}**

(DOCUMENTS TO BE ENCLOSED WITH THE APPLICATION )
( *See* rule 10)

**(I) Affidavit of the lessee.—(**a) stating the details of land already taken /applied by the applicant; and

(b) Audited Balance sheet in case of Company.

**(II) No objection certificate.—(**a) where land to be transferred is abutting the State or the National Highways, from the Public Works Department;

(b) where the land to be transferred is located in an area where the provisions of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act,1977 are applicable, from the Town and Country Planning authority concerned; and

(c) where the land to be leased is located in a Municipal area from the Municipality concerned.

In case of commercial establishments, tourism units, industrial and hydel power projects, in addition to the documents specified against paras I and (II), the following documents shall be enclosed, namely:-

(i) Essentiality Certificate from Industrial Department in case industrial unit is to be set up.
(ii) Essentiality Certificate from Tourism Department in case of tourism unit is to be set up.
(iii) Essentiality Certificate from Department of MPP & Power of the Government of Himachal Pradesh, in case of setting up of hydel projects.
(iv) Essentiality Certificate from Department of Education, in case of setting up of Educational Institution.
(v) Essentiality Certificate from Department of Food and Supplies in case of setting up of Petrol pump/gas godown.
(vi) Essentiality Certificate from Department of YSS of the Government of Himachal Pradesh, in case of sports activities.
(vii) Essentiality Certificate from concerned Deputy Commissioner in case land is proposed to be leased for the purpose of Charitable/Religious/Public utility/Youth Club/Temporary shed /residential House.".

By order,
Sd/-
*Principal Secretary (Revenue).*

## मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2 1 फरवरी, 2011

**संख्या मुद्रण (बी) 10–12 / 2010.**––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, में मुख्य अग्रणी, वर्ग–III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं ) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग मुख्य अग्रणी, वर्ग–III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(i) अधिसूचना संख्या मुद्रण (बी) 2–3 / 99 तारीख 3 मई, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग मुख्य अग्रणी, वर्ग–III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं ) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

––––––––

**उपाबन्ध–"क"**

### हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मुख्य अग्रणी, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––मुख्य अग्रणी

2. **पदों की संख्या.**––02 (दो)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)

4. **वेतनमान––(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.**––पे बैंड 10300–34800 रुपए जमा 3600 रुपए ग्रेड पे।

**(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.**––13900 रुपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)।

5. **"चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.**––अचयन ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**–– 18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञे है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारमभिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायतनिकाओं की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं,/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

**7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं––(क) अनिवार्य अर्हताएं.**––(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्कलू शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो या इसके समकक्ष ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से मुद्रण प्रौद्यौगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा कोर्स ।

(iii) किसी सरकारी मुद्रणालय अथवा प्रतिष्ठित निजी मुद्रणालय में पर्यवेक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

**(ख) वांछनीय अहर्ताएं.––**हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

**8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होगी या नहीं––आयु.––**लागू नहीं ।

**शैक्षिक अहर्ता.––**हां। जैसी नीचे दी गई स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।

**9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––**दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

**10. भर्ती की पद्धति––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––**शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर

यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

**11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानातरण किया जाएगा.––**अनुभागपालों (अक्षरयोजन/मुद्रण/पुस्तक बन्धन/मोनो/संगणना) एवं मुख्य वाचक में से प्रोन्नति द्वारा जो दसवीं पास हों और जिनका ग्रेड में तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तर्दथ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार पर उर्पयुक्त निदिर्ष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण.––**अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिर्जवेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है आरै इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिर्जवेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

**12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––**जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

**13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––**जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

**14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा**.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

**15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

**15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अघ्यधीन की जाएगी :–

**(I) संकल्पना.**––(क) इस पॉलिसी के अधीन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मुख्य अग्रणी को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं और केवल तभी उसकी संविदा अवधि को विस्तारित/नवीकृत किया जाएगा।

**(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.**––नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्
अघ्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

**(II) संविदात्मक उपलब्धियां.**––संविदा के आधार पर नियुक्त मुख्य अग्रणी को 13900/– रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420/– रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

**(III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).**––नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

**(IV) चयन प्रक्रिया.**––संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

**(V) संविदात्मक नियुक्त व्यक्तियों के लिए चयन समिति.**––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

**(VI) करार.**––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

**(VII) निबन्धन और शर्तें.**––(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13900/– रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रडे पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420/– रुपए (पद के पे बैंड के न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथालागू सेवा नियमों के उपाबन्ध, जैसे एफ आर, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

**16. आरक्षण**.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी।

**17. विभागीय परीक्षा लागू नहीं.––**18 शिथिल करने की जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या शक्ति.––समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों ) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

————————

**उपाबन्ध 'ख'**

मुख्य अग्रणी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् '**प्रथम पक्षकार**'

कहा गया है), औरै हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मुख्य अग्रणी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः—

1. यह कि प्रथम पक्षकार मुख्य अग्रणी के रूप में.....से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13900/— रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त मुख्य अग्रणी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त मुख्य अग्रणी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त मुख्य अग्रणी कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में : –

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
. .....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

सक्षियों की उपस्थिति में : –

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———————

*[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(B10-12/2010- dated 1-2-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]*

## PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 1st February, 2011*

**No. Mudan (B)10-12/ 2010.—**In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor ,Himachal Pradesh , in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission , is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **General Foreman ,Class-III (Non-Gazetted )(Non-Ministerial Services )** in the Department of Printing and Stationery Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification , namely:-

**1. Short title and commencement.—**(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **General Foreman, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)** Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

**2. Repeal and Savings.—**(i) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, General Foreman Class-III(Non-Gazetted), (Non-Ministerial services`) Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide Notification No: Mudran (B)2-3/99 dated 3-5-2002 hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under sub- rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
*Secretary (P&S).*

---

**ANNEXURE-A**

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF GENERAL FOREMAN, CLASS-III (NON-GAZETTED) ,IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH**

1. **Name of the Post.—**General Foreman

2. **Number of Post(s).—**02 (Two)

3. **Classification.—**Class-III (Non-Gazetted) (Non –Ministerial-Services)

4. **Scale of Pay.—***(i) Pay Scale for regular incumbents***.—**Rs. 10300-34800+Rs. 3600 Grade Pay.

   *(ii) Emoluments for contract employees***.—**Rs. 13900 /- P.M. (As per details given in Col.No. 15-A).

5. **Whether Selection post or Non-Selection post.—**Non-Selection

6. **Age for direct recruitment.—**Between 18 and 45 years.

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis.;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.;

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

**7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.—** *Essential Qualification(s)***.—**(i) 10+2 or its equivalent from a recognized University/Board of School Education.

(ii) 03 years Diploma course in Printing Technology from any recognized Training Institution.

(iii) Five years experience in Supervisor Capacity in any Government Press or Private Press of repute.

*Desirable Qualification(s)***.—** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

**8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee.(s) —***Age***.—**Not applicable

*Educational Qualification***.—**yes, as prescribed in Column No. 11 below.

**9. Period of probation, if any.—**Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

**10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s )to be filled in by various methods.—**100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

**11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—**By promotion from amongst the Section Holders (composing/printing/binding/mono/Computing) & Head Reader who have passed matriculation Examination and having 03 years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, if any in the grade.

(1) In all cases of promotion ,the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules :

that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/ her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to the above, all person senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post which ever is less, Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**Explanation.—**The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-service men recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, *adhoc* services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules. Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

**12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—**As may be constituted by the Government from time to time.

**13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—**As required under the Law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.—**A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

**15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—**Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency,as the case may be, considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

**15-A. (Selection for appointment to the post by contract appointment).—**Not withstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

**(I) CONCEPT.—**(a) Under this policy, the **General Foreman** in the Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB**.—**The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh ,after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* HP Subordinate Service Selection Board , Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—**The **General Foreman** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13900/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of Rs. 420/- (3% of the minimum of pay band+grade pay) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY** The Controller, Printing and Stationery H. P. will be appointing and disciplinary authority.

**(IV) SELECTION PROCESS.—**Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of *Viva-voce* test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—**As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

**(VI) (AGREEMEMT) .—**After selection of a candidate, he/She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS.—**(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13,900 /- per month(which shall be equal to minimum of pay band+ Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 420/- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. . They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

**16. Reservation.—**The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.—**Not applicable.

**18.** Powers to relax. Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

---

**ANNEXURE "B"**

**Form of contract/agreement to be executed between the General Foreman & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery, H.P.**

This agreement is made on this……..................…………..day of……..................……..in the year……..………..Between…………Sh/Smt.…………….S/o/D/oShri…………………………….. R/o………………………………………Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through-Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-inafter called the SECOND PARTY) Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as General Foreman on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a General Foreman for a period of one year commencing on day of…………………..……..and ending on the day of ……..……….. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on……………..And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 13900 /- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual General Foreman will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is

admissible to the contractual General foreman. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual General Foreman will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

**IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.**

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……..
   ……
   ……
   (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ……..
   ……
   ……
   (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……..
   ……
   ……
   (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. ……..
   ……
   ……
   (Name and full Address)

## HOME DEPARTMENT

MEMORANDUM

*Shimla*-2, *the* 14*th February,* 2011

*Subject*:—**Recruitment to the post(s) of Commandant/Junior Staff Officer, Class-I,Gazetted in the pay scale of Rs.15,600-39,100+ GP 6600/- in the Department of Home Guards and Civil Defense, Himachal Pradesh.**

**No. Home-F (B)3-4/2010.—**On the recommendation of the Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor Himachal Pradesh is pleased to offer appointment to **Lt. Col.(Retd.) Vinay Mohan** as Commandant/ Junior Staff Officer , Class –I,Gazetted in the Department of Home Guards and Civil Defense , Himachal Pradesh in the pay scale of Rs.15,600 39,100+ GP 6600 P.M. on the following terms and conditions:—

(i) The post of Commandant/ Junior Staff Officer, Class –I, Gazetted is temporary, but is likely to be continued.

(ii) He will be on probation for a period of two years from the date of joining the post. The period of probation is liable to be extended at the discretion of the appointing authority. Failure to complete the period of probation to the satisfaction of the competent authority will render him liable to discharge from service.

(iii) He will have to pass the prescribed departmental examination within the stipulated period failing which he shall not be eligible for:—

(a) The grant of higher pay-scales etc.
(b) Confirmation in service; and
(c) Promotion to the next higher post.

(iv) He will be liable to serve in any part of Himachal Pradesh or any other place where the Department deputes the officer.

(v) He will be required to take an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India (or make the solemn affirmation to that effect) in the prescribed form.

(vi) He will be required to submit declaration in the prescribed form that in case married, he has only one living wife.

(vii) No traveling allowance will be allowed for joining the post.

(viii) Other conditions of service will be governed by the relevant rules and orders issued by the State Government from time to time.

(ix) If any declaration given or information furnished by him proves to be false or if he is found to have willfully suppressed any material/information, he will be liable for removal from service and such other action as may be deemed necessary

2. If the offer of appointment on the above conditions is acceptable to the appointee, he should communicate his acceptance to the Government with in fortnight. He should also report for duty as Commandant, Home Guards at 12th Bn. Una and submit joining report to the undersigned as well as to the ADG-cum – Commandant General, Home Guards and Civil Defence within 15 days from the receipt of this offer, otherwise the appointment shall be treated as cancelled.

By order,
Sd/-
*Principal Secretary, Home.*

---

ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 7 / Teh. / 2010 तारीख पेशी : 17 / 2 / 2010

1. माया देवी पत्नी, 2. मदन लाल पुत्र स्व0 श्री कीकर सिंह उर्फ फकीर सिंह उर्फ करतार चन्द पुत्र श्री धोगरु उर्फ चौधरी पुत्र श्री सुखिया, निवासीयान गांव व डाकघर घरथोली, तहसील बैजनाथ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए दरुस्ती इन्द्राज करवाने हेतु।

श्रीमती माया देवी पत्नी श्री मदन लाल पुत्र स्व0 श्री कीकर सिंह उर्फ फकीर सिंह उर्फ करतार चन्द पुत्र श्री धोगरु पुत्र श्री सुखिया ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि खाता नं0 134, खतौनी नं0 369, खसरा कित्ता–5 रकवा तादादी 0–55–11 है0 बाबत जमाबन्दी साल 1993–94 स्थित महाल पन्तेहड, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा में प्रार्थी का नाम फकीर सिंह दर्ज है। व भूमि खाता नं0 108 मिन खतौनी नं0 234, खसरा नं0 864, रकवा 0–02–72 है0 स्थित महाल घरथोली बाबत जमाबन्दी साल 1991–92 में श्री कीकर सिंह दर्ज व तस्दीक है जो कि वास्तव में बिल्कुल गलत इन्द्राज हुआ है। अतः माया देवी ने अपने पति श्री मदन लाल के पिता का नाम करतार चन्द पुत्र धोगरु दर्ज करने बारे प्रार्थना–पत्र अदालत हजा में गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17–2–2011 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना–पत्र में करतार चन्द पुत्र धोगरु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 9–8–2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

शमशेर सिंह,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित